विहार विधान सभा वादवृत्त।

भारत के संविधान के उपबन्ध के अनुसार एकत्र विधान सभा का कार्य-विवरण।

सभा का अधिवेशन पटने के सभा-सदन में शुक्रवार, तिथि १५ मई, १९५३ को पूर्वाह्न ११ बजे माननीय अध्यक्ष श्री विन्ध्येश्वरी प्रसाद वर्म्मा के सभापतित्व में हुआ।

अल्प-सूचना प्रश्नोत्तर।

SHORT NOTICE QUESTIONS AND ANSWERS.

PROPAGANDA OF MISSIONARIES.

*479. **Shri SHITAL PRASAD BHAGAT**: Will the Chief Minister be pleased to state—

(*a*) whether the attention of Government has been drawn to the news published under the caption "अब सरकार के विरुद्ध भी प्रचार" in a local Hindi daily of the 28th April, 1953.

(*b*) if the answer to clause (*a*) be in the affirmative, what action Government are going to take to counteract the propaganda of the missionaries against Government ?

श्री कृष्ण वल्लभ सहाय—मैं यह आप से साफ कह देना चाहता हूं कि प्रश्न हमारे

पास तैयार है उसका जवाब ले लिया जाय। आज के नम्बरिंग में बहुत गड़बड़ी है।

अध्यक्ष—अच्छा मैं कौल करता हूं और जो तैयार हो उसका उत्तर आप देते जायंगे।

श्री कृष्ण वल्लभ सहाय—(ए) उत्तर हां है।

(बी) प्रेस रिपोर्ट में अत्युक्ति है। जिले के अधिकारी जो परिस्थिति के सम्पर्क में हैं उनके पास कोई ऐसी रिपोर्ट नहीं आई है कि मिशनरीज सरकार के विरुद्ध नीति प्रचार कर रहे हैं। प्रेस में जो रिपोर्ट निकली है वह जो घटना घटी थी उस से विशेष संबंध रखती है। यह गोरखपुर ग्राम, पी० एस० हजारीबाग की घटना है जहां पर कुछ हरिजन रविदास जो हाल ही में क्रिश्चन हो गए थे एक पादरी के प्रचार के कारण, कहा जाता है कि दूसरा हरिजन जिसका नाम बंधन चमार है, उसको मजबूर कर रहे थे कि वे मिशन स्कूल के लिए जमीन दें और क्रिश्चन हो जाय। बंधन चमार ने जमीन देने और क्रिश्चन होने से इनकार किया। तो कहा जाता है कि उसको पीटा गया। उसके बाद महाबीर मंडल ने जो हिन्दुस्तानी संस्था है आन्दोलन जारी किया और यह घटना खतम हो गयी। जब प्रिस्ट को जिन्होंने बंधन चमार पर आक्रमण किया था और दूसरे क्रिश्चन को गिरफ्तार कर लिया गया और १६० का मुकदमा चलाया गया तो उन्होंने एड इन्टरीम बौन्ड दिया। मिशनरी के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की गई। इसके अतिरिक्त और कार्रवाई की जाय इसकी आवश्यकता गवर्नमेंट नहीं समझती है, मगर गवर्नमेंट बहुत सतर्क होकर परिस्थिति को देख रही है।

---

*सदस्य की अनुपस्थिति में श्री महावीर राउत के अनुरोध से उत्तर दिया गया।

राज्यपाल तथा विधान परिषद् से प्राप्त संदेश।

MESSAGES RECEIVED FROM THE GOVERNOR AND THE LEGISLATIVE COUNCIL.

SECRETARY TO THE ASSEMBLY: Sir, the following messages have been received:—

(1) The Governor was pleased to give his assent to the Patna Municipal Corporation (Amendment) Bill, 1953, on the 14th of this month.

(2) The Legislative Council at its meeting held day-before-yesterday agreed, without any amendment, to the Bihar Development of Homeopathic System of Medicine Bill, 1953.

(3) The Legislative Council at its meeting held yesterday considered and agreed, without any amendment, to the Bihar Prevention and Control of Agricultural Pests, Diseases and Noxious Weeds Bill, 1953.

(4) The Legislative Council at its meeting held yesterday considered and agreed without amendment to the Bihar Mica (Amendment) Bill, 1952.

(5) The Legislative Council at its meeting held yesterday considered and agreed without any amendment to the Bihar Molasses (Control) (Amendment) Bill 1953.

विधान कार्य।

LEGISLATIVE BUSINESS

The Bihar Municipal Corporation (Amendment) Bill, 1953 (Bill No. 33 of 1953).

बिहार म्युनिसिपल कॉरपोरेशन (अमेंडमेंट) बिल, १९५३ (१९५३ की वि० सं० ३३)

अध्यक्ष—बिहार म्युनिसिपल कॉरपोरेशन (अमेंडमेंट) बिल, १९५३, जो विधान परिषद् से होकर आया है उसपर विचार आरम्भ हो।

श्री भोला पासवान—अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि बिहार म्युनिसिपल (अमेंडमेंट) बिल, १९५३, जो विधान परिषद् से संशोधित होकर आया है, उसपर विचार हो।

*Shri **NAND KISHORE NARAYAN**: I propose that further consideration of the Bill may be postponed.

मुझे इसके संबंध में कुछ ज्यादा नहीं कहना है। आप जानते हैं कि हाउस कैसे इम्पॉर्टेन्ट इशू पर उलझा हुआ है। इस समय बिहार और बंगाल की परिस्थिति पर हमलोग विचार कर रहे हैं जो प्रश्न इससे बहुत ज्यादे महत्व का है। इसलिये हम नहीं समझते

हैं कि इस अवसर पर हम दूसरी तरफ अपना ध्यान ले जा सकते हैं। आज की तैठक केवल इसी के लिये बढायी गयी है। यह एक बहुत महत्वपूर्ण इशू है और बहुत से सदस्य अभी बोल नहीं सके हैं। सबों को विचार प्रकट करना जरूरी है। इसलिये मैं समझता हूँ कि इस बिल का कनसिडरेशन पोस्टपोन किया जाय। हमलोग इस पर रांची सेशन में विचार करेंगे।

Shri MURLI MANOHAR PRASAD: Sir, will you permit me to endorse whole-heartedly the suggestion made by Shri Nand Kishore Narayan. The House is certainly not in a mood to consider this Bill just at present. The issue before the House is of far greater importance than the motion of the Hon'ble Minister of the Local Self-Government Department. It would be best if the consideration of this Bill is postponed till the Ranchi session of the Assembly.

SPEAKER: How do you assume that the session will be held at Ranchi?

Shri MURLI MANOHAR PRASAD: I meant that the consideration of the Bill be postponed till the next session whether it is held at Ranchi or anywhere else. The idea is that it should not be taken up just now and may be taken up at the next session.

श्री भोला पासवान—मैं यह नहीं कहता हूँ कि नन्द किशोर बाबू ने जो कहा है वह बात गलत है पर मैं यह कहना चाहता हूँ कि यह बिल भी एक इम्पौर्टेन्ट बिल है। यह बिल कौंसिल में गया था और वहां भी यही प्रश्न पेश था पर हमने वहां के सदस्यों को अनुरोध किया कि इस बिल को पास कर दिया जाय और हमारे अनुरोध पर उनलोगों ने इसे पास कर दिया। हमारे दोस्तों ने जो कहा है कि यह गवर्नमेंट स्पौन्सर्ड बिल है तो मैं यह कहना चाहता हूँ कि सरकार कोई भी बिल बहुत सोच-विचार कर लाती है। मैं इसकी महत्व को बता देना चाहता हूँ। हमलोग वाटर सप्लाई के लिये लाखों रुपये खर्च करते हैं। इतना खर्च करते हैं कि उसको मेनटेन करना भी म्युनिसिपैलिटी के लिये मुश्किल है। पानी सप्लाई करना एक बहुत जरूरी चीज है और इसमें जितनी ही देर होगी उतने ही लोगों का कष्ट बढ़ेगा। इस बात को आपलोग रीअलाईज कीजियेगा जब अपने-अपने घर जायेंगे। अभी बिल पास हो जाने से कम से कम यह काम जारी हो जाता और नहीं करने से प्रायः ६ महीना डिले हो जायगा। सीमा का प्रश्न जो सदन के सामने है उसका महत्व तो है ही और मैं भी उसके साथ हूँ फिर भी मैं अनुरोध करूँगा कि आप थोड़ा समय निकाल कर इसे पास कर देते तो अच्छा होता।

श्री रामानन्द उपाध्याय—मेरा एक प्वयान्ट औफ ऑर्डर है। वह यह है कि जब लड़ाई किसी देश में छिड़ जाती है तो सब काम बन्द कर दिया जाता है। यह प्रश्न रिजोल्यूशन के रूप में एक प्रकार की लड़ाई है। नन्द किशोर बाबू ने जो कहा है उसके अनुसार इस रिजोल्यूशन पर विचार होना चाहिये और बिल को अभी स्थगित कर देना चाहिये।

अध्यक्ष—यह तो बेढंगा प्वयान्ट, औफ ऑर्डर है। ऐसा हमने कभी नहीं सुना है।

श्री गुप्त नाथ सिंह—मेरा नम्र सुझाव है कि यदि इस बिल को पास करना जरूरी है

और बाउन्डरी का प्रश्न भी बहुत ही महत्वपूर्ण है तो एक दिन के लिये बैठक को और बढ़ा दी जाय।

चारो तरफ से "नहीं" की आवाज।

यदि ऐसा नहीं होगा तो इस बिल पर इतनी जल्दी हमलोगों को अपना विचार देना कठिन हो जायगा।

श्री पशुपति सिंह—अध्यक्ष महोदय, मेरा कहना है कि यह बिल भी बहुत ही

इम्पोर्टेन्ट बिल है। खास करके भागलपुर में गंगाजी के हट जाने से वहां पानी का बहुत कष्ट है वहां पीने के लिये भी पानी नहीं मिल रहा है। इसलिये यदि हम लोग इसपर विचार कर सकें तो अच्छा है।

इसलिए मैं आपकी मारफत सरकार से निवेदन करूँगा कि यह बहुत महत्वपूर्ण बिल है। जैसा हुक्म हो, लेकिन यह बहुत जरूरी सवाल है कि इसपर बोलने का समय दिया जाये और इसे स्थगित न किया जाये।

श्री रामचरित्र सिंह—मैं जानता हूँ और चेयर को भी अच्छी तरह मालूम है कि

जो रिजोल्यूशन इस वक्त हाउस के सामने है, उसपर बहुत से सदस्य अपना विचार प्रकट करने के लिए तैयार हैं। मैं कहना चाहता हूँ कि सबों के कहने पर तो एक रोज का टाइम बढ़ा दिया गया, लेकिन और एक रोज का समय बढ़ाना सरकार के लिए बहुत मुश्किल है। अब सवाल हमारे सामने म्युनिसिपल (अमेंडमेंट) बिल का है जिसपर बहुत अमेंडमेंट्स आये हुए हैं। हमारा ख्याल है कि यह बिल थोड़े समय में नहीं हो सकता है। इसलिए हम इस सवाल को चेयर के सामने रख देते हैं कि जैसा उनका विचार हो वैसा करें।

अध्यक्ष—हमको भी हाउस की राय लेनी पड़ेगी।

श्री रामचरित्र सिंह—यह तो जरूरी ही है। लेकिन आप तो हाउस के सभी बातों

को अच्छी तरह से जानते हैं। सभी बातों को ध्यान में रखकर अपना फैसला कर दें। हम हाउस एक रोज भी एक्सटेन्ड करना नहीं चाहते हैं। हम जानते हैं कि जो रिजोल्यूशन अभी हाउस के सामने पेश है उसपर बहुत माननीय सदस्य बोलने वाले हैं, इसलिए उनलोगों को भी बोलने का समय देना जरूरी है।

श्री नन्दकिशोर नारायण—अभी लीडर आफ दी हाउस ने जो वक्तव्य दिया है उससे

मालूम होता है कि इसमें समय दिया जाय।

श्री रामचरित्र सिंह—आप मेरे भाषण का इन्टरप्रेटेशन नहीं कर सकते हैं वह तो

चेयर का काम है।

अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि—

दी बिहार म्युनिसिपल (अमेंडमेंट) बिल, १९५३ पर जो संशोधन परिषद् से आये हैं उनपर विचार स्थगित हो।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।